न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

रिव्यू प्रा0प0 संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/19/2021	2021/89	23.06.2021	29.06.2021

01– विपिन कुमार पुत्र श्री घनश्याम दास जति महाजन निवासी 50, लाजपत नगर, स्कीम नम्बर 2, अलवर तह0 व जिला अलवर राज0। –अपी0 प्रार्थी

बनाम

01– नगर विकास न्यास अलवर जरिये सचिव नगर विकास न्यास अलवर राज0।
02– तहसीलदार अलवर जिला अलवर राज0।
03– भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास, अलव राज0। –रेस्पाडेन्टस्

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार अलवर का निर्णय दिनांक 25.06.2012 नामान्तकरण संख्या 978 ग्राम देसूला तहसील व जिला अलवर राज0 अपील सं011/04/2021 नि0दि0 07/04/2021

उपस्थितः–
01. श्री जगदीश चन्द सतीजा –वकील अपीलान्ट प्रार्थी
02. श्री अशोक कुद्दल –वकील रैस्पो0 सं. 1 व 3

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट प्रार्थी ने यह रिव्यू प्रा0प0 अपील संख्या 11/04/2021 निर्णय दिनांक 07/04/2021 को रिव्यू करने हेतु पेश किया गया है। रिव्यू प्रा0प0 दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रिव्यू प्रा0प0 अपीलांट प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील रिव्यु प्रा0 प0 अपीलान्ट ने अपनी बहस में रिव्यू प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मूल अपील संख्या 2021/33 निर्णय दिनांक 07/04/2021 में न्याया0 हाजा0 द्वारा तकनीकि तथा लिपीकीय व विधिक बिन्दुओं की ओर गौर नहीं किया गया। यह त्रुटि ऑन फेस ऑफ रेकार्ड साबित है इससे किसी भी पक्षकार के हितों पर प्रभाव नहीं पड रहा है। मूल अपील के निर्णय से उस निर्णय की पालना नहीं हो पा रही है। इसलिए विधिक त्रुटि को दूर करने एवं स्पष्ट आदेश पारित करने के लिए यह रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अपील व इस रिव्यू प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार से राजकीय हित प्रभावित नहीं हो रहा है। जिस खसरा न0 साबिक 109 के लिए मूल अपील व रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया है। उसका अप्रार्थीगण – रेसपोडेन्टस् का कोई हित प्रभावित नहीं है।

29/6

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

विद्वान वकील अप्रार्थी / रैस्पो0 सं0 1 व 3 ने भी कथन किया है कि खसरा न0 109 को नगर विकास न्यास अलवर ने कभी अधिग्रहण नहीं किया है। परन्तु सहवन से बन्दोबस्त के बाद अधिग्रहण आदेश की पालना में तहसीलदार अलवर द्वारा जो नामान्तरकरण खोला है उसमें खसरा न0 80 के साथ साबिक खसरा न0 109 को मिलाने से वह नगर विकास न्यास अलवर के रेकार्ड में दर्ज हो गया है।

उक्त बिन्दुओं के आधार पर उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बहस में अपील के तथ्य तथा रिव्यू प्रार्थना पत्र के तथ्य तथा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 07/04/2021 को दोहराया तथा साबिक रेकॉर्ड तथा मौके पर अपीलान्ट के काबिजकास्त होने तथा नगर विकास न्यास अलवर द्वारा यह स्वीकार करने के आधार पर की अपीलान्ट का साबिक खसरा न0 109 को नगर विकास न्यास ने अधिग्रहण नहीं किया है के आधार पर रिव्यू प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना तथा साबिक खसरा न0 109 से हाल बने खसरा न0 80 में से अपीलान्ट की खातेदारी रकबे के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने तथा पूर्व के आदेश में न्याय की मन्शा के आधार स्पष्ट आदेश पारित करने की इस्तदुआ की गई साथ ही नक्शे में अपीलान्ट के मौके पर कब्जा कास्त के आधार पर तितम्बा काटने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई।

अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट नगर विकास न्यास अलवर के भूमि अवाप्ति अधिकारी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुद्दल का कहना है कि साबिक खसरा न0 109 नगर विकास न्यास के द्वारा कभी अधिग्रहण नहीं किया गया है। अन्य खसरा न0 जो अधिग्रहण किये गए हैं उनके हाल खसरा न0 से जो नामान्तरकरण दर्ज हुआ है उससे नगर विकास न्यास की आराजी यथावत रहनी चाहिए। पूर्व की बहस व लिखित बहस को ही रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस बताया तथा कहा की यदि रिव्यू प्रार्थना पत्र में यदि तकनीकि, लिपिकीय त्रुटियों को न्याय के लिए दुरूस्त किया जाता है उनको कोई आपत्ति नहीं है।

हमने रिव्यू प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं, मूल अपील के तथ्यों, पूर्व निर्णय व अभिभाषकगण की बहस पर गौर किया तथा रेकॉर्ड का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम का अवलोकन किया प्रकरण में विधिक कमियों व त्रुटियों को दूर कर न्यायिक निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं। अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट, रेस्पोडन्ट व रेकॉर्ड के बिन्दुओं के आधार पर विवेचन इस प्रकार से है कि –

— आराजी खसरा न0 साबिक 109 मिन रकबा 2.12 बीघा वाके ग्राम देसूला हरिशचन्द्र की खातेदारी में दर्ज रेकॉर्ड थी। जमाबन्दी नकल प्रमाणित सम्वत 2046–49 खाता संख्या 179 से स्पष्ट है।

— जमाबन्दी भू–प्रबंध विभाग संवत 2051–70 के अनुसार खसरा न0 साबिक 108 मिन रकबा 0.03 बीघा, 109 मिन रकबा 2.10 बीघा से हाल खसरा

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

न0 80 रकबा 0.46 कायम किये गए है। मिलान क्षेत्रफल से भी प्रमाणित है। खसरा न0 80 रकबा 0.46 विपिन अग्रवाल की खातेदारी में विक्रय पत्र दिनांक 25.08.1993 व नामान्तरण संख्या 47 से दर्ज रेकॉर्ड प्रमाणित है।

— नगर विकास न्यास के पत्रांक 5831 दिनांक 16.09.2020 के अनुसार हाल खसरा न0 80 रकबा 0.46 वाके ग्राम देसूला तहसील अलवर, अवाप्तशुदा जमीन नहीं है।

— नामान्तरकरण 978 से खसरा न0 80 रकबा 0.46 नगर विकास न्यास अलवर के नाम से अवाप्तशुदा आराजी मानकर दिनांक 25.06.2012 को दर्ज किया गया।

— अपीलान्ट की अपील खसरा न0 109 से संबंधित है। खसरा न0 108 मिन से अपीलान्ट अपना कोई संबंध नहीं बता रहे हैं। खसरा न0 80 रकबा 0.46 में मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 108 मिन का 0.03 बीघा (3 बिस्वा) तथा 109 मिन का रकबा 2.10 बीघा सम्मिलित है।

रेस्पोडेन्ट अभिभाषक का बहस में यह कथन है कि विवादित आराजी खसरा न0 80 एम0आई0ए0 योजना हेतु अधिग्रहण की है, रेकॉर्ड से साबित नहीं होती है अतः अस्वीकार है इस आराजी खसरा न0 80 के साबिक खसरा न0 109 मिन रकबा 2.10 बीघा का जब अधिग्रहण ही नहीं किया गया है तो मुआवजा देने या नहीं देने या राज्य सरकार से पत्राचार करना तर्क संगत नहीं होने से अस्वीकार है। नामान्तरकरण संख्या 978 दिनांक 25.06.2012 को स्वीकृत हुआ है। वह साबिक खसरा न0 109 मिन रकबा 2.12 बीघा से बने हाल खसरा न0 80 का है जो विधि विरूध्द् स्वीकृत किया गया है और विधि विरूध्द् दर्ज नामान्तरकरण सं0 978 और बिना अवाप्त किए गए रकबे से किसी भी स्थिति में राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के प्रावाधानों के तहत खातेदारी समाप्त नहीं होती है।

बन्दोबस्त विभाग द्वारा कायम किये गये नम्बरान के आधार पर तहसीलदार अलवर द्वारा विधि विरूध्द् नामान्तरकरण संख्या 978 खसरा न0 80 की सीमा तक गलत दर्ज किया है। अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार बदस्तूर ही स्वयं नगर विकास न्यास द्वारा स्वीकार किया गया है कि खसरा न0 80 का अवाप्ति नहीं होना रेकॉर्ड से साबित है अतः इसमें कोई राजकीय हित निहित नहीं है बल्कि एक खातेदार के न्याय हित स्पष्ट हैं।

मौके पर अपीलान्ट खातेदार कि हैसियत से खसरा न0 हाल 80 रकबा 0.46 पर कब्जे काश्त में है इसलिए अपीलान्ट नामान्तरकरण संख्या 978 में सम्मिलित खसरा न0 80 रकबा 0.46 है0 तक पुनः अपने नाम से खातेदारी दर्ज कराने तथा मौके पर उसी अनुसार कब्जा काश्त के आधार पर नक्शे में तितम्बा कटवाने का अधिकार रखता है।

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

अतः अपील अपीलान्ट, रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 11/18/2021 दिनांक 23.06.2021 स्वीकार किया जाता है तथा मूल अपील संख्या 33/2021 में निर्णय दिनांक 07.04.2021 में उपरोक्तानुसार संशोधन किया जाता है। नामान्तरकरण संख्या 978 के आधार पर खसरा न0 80 रकबा 0.46 है0 वाके ग्राम देसूला तहसील अवलर को नगर विकास न्यास अलवर के नामान्तरकरण संख्या 978 से दर्ज रेकॉर्ड से हजफ कर अपीलान्ट/प्रार्थी विपिन कुमार अग्रवाल पुत्र घनश्याम दास जाति महाजन के नाम दर्ज रेकार्ड किये जाने के आदेश दिए जाते हैं तथा नामान्तरकरण संख्या 978 को खसरा न0 80 तक निरस्त किया जाता है। नक्शे में मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर हाल खसरा न0 80 का तितम्बा कराकर अलग किया जावे।

तहसीलदार अलवर को आदेश दिए जाते हैं कि नामान्तरकरण संख्या 978 से खसरा न0 80 रकबा 0.46 है0 वाके ग्राम देसूला जो नगर विकास न्यास अलवर के नाम से हाल रेकार्ड में दर्ज है को नगर विकास न्यास के खाते से अलग करके मूल खातेदार विपिन कुमार अग्रवाल पुत्र घनश्याम दास जाति महाजन के नाम से खातेदार की हैसियत से राजस्व रेकार्ड में अंकन दर्ज करें।

पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/6/21

(कमलराम मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)